Ann. II

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 967-970

Dated 13-12-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 213.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 27क, की उपधारा(2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के साथ पठित धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा परिभाषित न हो—

(क) "अधिनियम" से भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 27क के अधीन गठित केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "तकनीकी सलाहकार" से अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

3. पदेन अध्यक्ष-भारत सरकार का सचिव, जो केन्द्रीय सरकार के विभाग का भारसाधक है, जिसके पास बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण है, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार पदेन अध्यक्ष होगा ।

4. **पदेन सदस्य सचिव**-तकनीकी सलाहकार, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार सदस्य सचिव होगा ।

5. **अन्य सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति**-(i) ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी जो बॉयलरों के निरीक्षण और परीक्षा से अवगत हो जिससे प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा (संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) ऊपर उपनियम (1) में नामनिर्दिष्ट समान संख्या में अन्य सदस्य जो 28 से अधिक नहीं होंगे, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसार निम्नलिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :-

(क) भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) इस्पात विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे इस्पात मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(घ) श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ङ.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे विद्युत मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(छ) भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे ब्यूरो के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ज) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे गृह मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(झ) कानफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री या एसोसिएटिड चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया से एक सदस्य ;

(ञ) बॉयलर मैन्यूफेक्चर एसोसिएशन से एक सदस्य ;

(ट) बॉयलर कंपोनेंट मैन्यूफेक्चरर एसोसिएशन से एक सदस्य ;

(ठ) बॉयलर और बॉयलर कंपोनेंट मैन्यूफेक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य ;

(ड) राष्ट्रीय प्रयोगशाला का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य;

(ढ) इंजीनियरी परामर्शी संगठन/निरीक्षण अभिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य ;

(ण) बॉयलर यूजर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य ; और

(त) किसी अन्य हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच से अनधिक सदस्य जो केन्द्रीय सरकार की राय में जिनका बोर्ड पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

6. **नाम निर्देशित सदस्यों की पदावधि**-(1) नियम 5 के अधीन नामनिर्देशित प्रत्येक सदस्य राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सामान्यतया तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड के परामर्श के लिए तब तक पद धारण करेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए ।

(2) नामनिर्देशित सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र संबोधन करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा ।

[फा. सं. 6 (6)/2008-बॉयलर्स]

गोपाल कृष्णा, संयुक्त सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(Central Boilers Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2008

G. S. R. 213.— In exercise of the powers conferred by Section 28A read with clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section 2 of Section 27A of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), and in supersession of the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2008.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Act" means the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

   (b) "Board" means the Central Boilers Board constituted under Section 27A of the Act;

   (c) "Technical Adviser" means the Technical Adviser appointed under sub-section (1) of section 4A of the Act;

   (d) "member" means a member of the Board.

3. **Ex-officio Chairperson.**- The Secretary to the Government of India incharge of the Department of the Central Government having administrative control of the Board shall be the ex-officio Chairperson as per clause (a) of the sub-section (2) of section 27A of the Act.

4. **Ex-officio Member-Secretary.**—The Technical Adviser shall be the ex-officio Member-Secretary as per clause (d) of the sub-section (2) of Section 27A of the Act.

5. **Manner of nomination of other members.**—(i) a senior technical officer conversant with the inspection and examination of boilers to be nominated by the Government of each State (other than Union territory) as per clause (b) of sub-section(2) of Section 27A of the Act;

(ii) Equal number of other members nominated in sub-rule (i) above, not exceeding twenty eight, shall be nominated as per clause (c) of sub-section (2) of section 27A of the Act in the following manner:-

(a) one member to represent Department of Heavy Industry to be nominated in consultation with the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises;

(b) one member to represent Department of Steel to be nominated in consultation with the Ministry of Steel;

(c) one member to represent Ministry of Petroleum and Natural Gas to be nominated in consultation with that Ministry;

(d) one member to represent Ministry of Labour to be nominated in consultation with that Ministry;

(e) one member to represent Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to be nominated in consultation with that Ministry;

(f) one member to represent Central Electricity Authority to be nominated in consultation with Ministry of Power;

(g) one member to represent the Bureau of Indian Standards to be nominated in consultation with that Bureau;

(h) one member to represent Union Territories to be nominated in consultation with Ministry of Home Affairs;

(i) one member from Confederation of Indian Industry or Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry or The Associated Chambers of Commerce and Industry of India;

(j) one member from Boiler Manufacturers Association;

(k) one member from Boiler components Manufacturers Association;

(l) four members to represent boilers and boiler components manufacturing industry;

(m) two members to represent National Laboratories;

(n) two members to represent Engineering Consultancy Organizations/Inspection Agencies;

(o) four members to represent boiler user industry; and,

(p) not more than five members to represent any other interest which, in the opinion of the Central Government, ought to be represented on the Board.

6. **Term of office of nominated members.**—(1) Every member nominated under rule 5 shall ordinarily hold office for a period of three years from the date of publication of the notification in the Official Gazettee for constitution of the Central Boilers Board unless otherwise directed by the Central Government.

(2) A nominated member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

[F. No. 6(6)/2008-Boilers]

GOPAL KRISHNA, Jt. Secy.

MGIPRRND—4845 Commerce/08—100.